न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

रामप्रताप बनाम बिहारी देवी

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

प्रार्थना पत्र | मु. न. 138/2011

	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर अंकित किये गये है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी व मुख्तयार आम को विस्तार से सुना गया। बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 52 टीपी एक्ट एंव 151 सीपीसी का स्वीकार कर इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 08.07.2011 में आंशिक संशोधन करते हुए राजस्व ग्राम रींगस के कृषि भूमि खसरा नम्बर 3997 से 4001 कुल किता 5 कुल रकबा 2.46 हैक्टर में 1/2 हिस्से का प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण नं. 1 से 6 के द्वारा वादीगण/प्रार्थीगण के हक में विक्रय विलेख सब रजिस्ट्रार श्रीमाधोपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करने पर दस्तावेज पंजीयन कराने की स्वीकृति सशर्त प्रदान की जाती है। सब रजिस्ट्रार श्रीमाधोपुर को प्रार्थना पत्र की प्रति के साथ तहरीर आदेश जारी हो। वास्ते अग्रिम कार्यवाही पत्रावली नियत दिनांक 11.06.2021 को पेश हो।	
11.06.2021	इकजाई तारीख पेशी देने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण ने अवगत कराया कि प्रकरण में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से प्रकरण में मुकदमें में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विड्रा कर खारीज किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी द्वारा किया गया है। अतः वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विड्रा कर खारिज किये जाने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.06.15 11:54:09 IST
Reason: SelfAttested